

पर्यावरण पहलुओं के संबंध में छमाही प्रगति रिपोर्ट
(पर्यावरण स्वीकृति पत्र के शर्तों के अनुसार)

(मार्च, 2025 को समाप्त अवधि तक)

1	परियोजना का नाम	सेवा पावर स्टेशन चरण-II (120 मेगा वाट)																					
2	परियोजना की किस्म	जलविद्युत परियोजना																					
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और दिनांक क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति	<p>क) सं. जे-12011/38/2001-आईए-आई, दिनांक 07.03.2003</p> <p>ख) वन स्वीकृति विवरण</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र संख्या</th> <th>दिनांक</th> <th>वन भूमि (हेक्टेयर)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सं. 393 एफएसटी ऑफ 2003</td> <td>25.08.2003</td> <td>33.00</td> </tr> <tr> <td>सं. 443 एफएसटी ऑफ 2004</td> <td>11.10.2004</td> <td>05.00</td> </tr> <tr> <td>सं. 567 एफएसटी ऑफ 2006</td> <td>26.10.2006</td> <td>10.14</td> </tr> <tr> <td>सं. 207 एफएसटी ऑफ 2008</td> <td>27.05.2008</td> <td>0.836</td> </tr> <tr> <td>सं. 118 जेके(एफएसटी) ऑफ 2022</td> <td>16.08.2022</td> <td>0.36</td> </tr> <tr> <td>कुल वन भूमि (हेक्टेयर)</td> <td></td> <td>49.336</td> </tr> </tbody> </table>	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र संख्या	दिनांक	वन भूमि (हेक्टेयर)	सं. 393 एफएसटी ऑफ 2003	25.08.2003	33.00	सं. 443 एफएसटी ऑफ 2004	11.10.2004	05.00	सं. 567 एफएसटी ऑफ 2006	26.10.2006	10.14	सं. 207 एफएसटी ऑफ 2008	27.05.2008	0.836	सं. 118 जेके(एफएसटी) ऑफ 2022	16.08.2022	0.36	कुल वन भूमि (हेक्टेयर)		49.336
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र संख्या	दिनांक	वन भूमि (हेक्टेयर)																					
सं. 393 एफएसटी ऑफ 2003	25.08.2003	33.00																					
सं. 443 एफएसटी ऑफ 2004	11.10.2004	05.00																					
सं. 567 एफएसटी ऑफ 2006	26.10.2006	10.14																					
सं. 207 एफएसटी ऑफ 2008	27.05.2008	0.836																					
सं. 118 जेके(एफएसटी) ऑफ 2022	16.08.2022	0.36																					
कुल वन भूमि (हेक्टेयर)		49.336																					
4	स्थान क) जिला (जिले) ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	<p>(क) कठुआ</p> <p>(ख) केंद्र शासित प्रदेश - जम्मू और कश्मीर</p> <p>(ग) 32° 36' 38" उ० से 32° 41' 00" उ०</p> <p>(घ) 75° 48' 46" पू० से 75° 55' 38" पू०</p>																					
5	पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	<p>(क) समूह महाप्रबंधक (प्रभारी), सेवा-II पावर स्टेशन, मशका, जिला कठुआ (केंद्र शासित प्रदेश - जम्मू और कश्मीर) टेलीफोन नं: 01899-263291 ई मेल: hop-sewa2@nhpc.nic.in</p> <p>(ख) कार्यपालक निदेशक, पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय, एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद-121 003 दूरभाष नं. 0129-2254038 ईमेल: envdivmgn-co@nhpc.nic.in</p>																					
6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	<p>पर्यावरण प्रबंधन योजनाएँ इस प्रकार हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • जलग्रहण क्षेत्र उपचार • क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना • जैव विविधता संरक्षण योजना • हरित पट्टी का विकास • जलाशय रिम योजना • खदान स्थलों का पुनरुद्धार • मलबे का निपटान 																					

		<ul style="list-style-type: none"> • निशुल्क ईंधन की व्यवस्था • स्वास्थ्य प्रबंधन योजना • आपदा प्रबंधन योजना • पर्यावरण मानीटरिंग योजना • पुनर्वास और पुनर्स्थापन • नदियों में मत्स्य जीविका निर्वाह योजना 																
7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण) क) जलमग्न क्षेत्र: (वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र) ख) अन्य	(क) i) वन भूमि : 9.74 हेक्टेयर ii) गैर-वन भूमि : 34.44 हेक्टेयर (ख) i) वन भूमि : 39.596 हेक्टेयर ii) गैर-वन भूमि : 33.066 हेक्टेयर कुल भूमि = 116.842 हेक्टेयर																
8	जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी ख) अन्य	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या : 223 जिन परिवारों ने घर और भूमि खोई है: 68 (पूर्णतया प्रभावित) जिन परिवारों ने केवल भूमि खोई है : 155 (आंशिक रूप से प्रभावित)																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम संख्या</th> <th>पूर्णतया प्रभावित</th> <th>आंशिक रूप से प्रभावित</th> <th>कुल प्रभावित परिवार</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(क)</td> <td>11</td> <td>14</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>(ख)</td> <td>49+8=57</td> <td>141</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>68</td> <td>155</td> <td>223</td> </tr> </tbody> </table>	क्रम संख्या	पूर्णतया प्रभावित	आंशिक रूप से प्रभावित	कुल प्रभावित परिवार	(क)	11	14	25	(ख)	49+8=57	141	198	कुल	68	155	223
क्रम संख्या	पूर्णतया प्रभावित	आंशिक रूप से प्रभावित	कुल प्रभावित परिवार															
(क)	11	14	25															
(ख)	49+8=57	141	198															
कुल	68	155	223															
9	वित्तीय ब्यौरा क) परियोजना की लागत, जैसीकि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किए गए आवंटन घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च	क) ₹665.46 करोड़ रुपए जिसमें सितम्बर, 2002 मूल्य स्तर पर ₹ 68.42 करोड़ रुपए का आई.डी.सी. शामिल है। संशोधित लागत अनुमान : ₹1091.63 करोड़ रुपए, मार्च, 2013 मूल्य स्तर पर ख) ₹1091.63 करोड़ (ऊर्जा मंत्रालय को प्रस्तुत संपादन मूल्य) ग) ₹15.64 करोड़ रुपए (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए ₹11.99 करोड़ रुपये और आर. एण्ड आर. के लिए ₹3.65 करोड़ रुपये) घ) ₹1183.799 लाख रुपए (मार्च, 2025 तक) (संलग्नक-1)																
10	वन भूमि की आवश्यकताएं क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अनुमोदन की स्थिति ख) वन भूमि में पेड़ों के कटने के संबंध में स्थिति	क) 49.336 हेक्टेयर वन भूमि ख) कुल 883 पेड़ काटे गए।																
11	निर्माण की स्थिति क) आरम्भ करने की तारीख ख) पूरा होने की तारीख	सितंबर, 2003 (वास्तविक) वास्तविक पूरा होने की तारीख : 24.07.2010																

12	विलम्ब के कारण, यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है	लागू नहीं
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा क) मानीटरिंग समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	7वीं बहुविधा मानीटरिंग समिति की बैठक 15-16 मार्च 2013 को सम्पन्न हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि चूंकि पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित सारे कार्य लगभग सम्पन्न हो गए हैं एवं परियोजना 2010 में चालू हो चुकी है, भविष्य में बहुविधा मानीटरिंग समिति की मोनिटरिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। --
14	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट।	संलग्नक-॥ के रूप में संलग्न।

विभिन्न पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन पर किया गया व्यय

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)	आवंटित राशि (EMP के अनुसार)	खर्च (मार्च, 2025 तक)
1	जलग्रहण क्षेत्र उपचार	600.00	600.00
2	प्रतिपूरक वनीकरण	15.00	12.17
3	जैवविविधता संरक्षण योजना	120.00	96.83
4	हरित पट्टी योजना	80.00	79.26
5	जलाशय किनारा योजना		
6	खदान क्षेत्रों का पुनरुद्धार	50.00	-
7	मक डम्पिंग स्थलों का पुनर्स्थापन	50.00	2.00
8	मुफ्त ईंधन की व्यवस्था	50.00	45.67
9	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता योजना	50.00	15.17
10	आपदा प्रबंधन योजना	100.00	0.24
11	पर्यावरण निगरानी योजना	60.00	8.09
	कुल योग (क)	1199.00	859.43
12	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना	मकान व ढाँचे की क्षतिपूर्ति	257.00
		आर & आर पैकेज	108.00
	उप - योग (ख)	365.00	299.36
13	नदियों में मत्स्य जीविका निर्वाह योजना	65.00	25.00
	कुल योग (क+ख)	1629.00	1183.79

कृपया ध्यान दें:

- जेकेपीडीसी को प्रतिपूर्ति के लिए 0.78 लाख रुपये के साथ साथ वृद्धि कारक और स्टेज-11 विकास के दौरान व्यय के लिए 20 लाख रुपये शामिल है।
- ठेकेदार द्वारा डंपिंग साइट्स पर श्रमिकों को मुफ्त ईंधन, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा कार्य प्रदान करने की लागत को सिविल कार्यों की अन्य मदों के लिए इकाई मूल्य में शामिल किया गया है।
- विभिन्न बजट मद/ प्रावधानों के अंतर्गत आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) से संबंधित गतिविधियां पहले ही शामिल की जा चुकी हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति पत्र संख्या J-12011/38/2001-IA-I दिनांक 07.03.2003 में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के संबंध में स्थिति ।

भाग क : विशिष्ट शर्तें

क्र. स.	विशिष्ट शर्तें	अनुपालन की स्थिति
i.	गट्टी और माशका के 2 गांवों के 86 परिवार प्रभावित होंगे। प्रभावित परिवारों का पुनर्वास राज्य सरकार के पत्र स..LAJ266 दिनांक 2002/12/27 द्वारा अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रभावित आबादी की आर्थिक पुनर्वास व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे मधुमक्खी पालन, खरगोश पालन, मुर्गी पालन व रेशम उत्पादन गतिविधियों के माध्यम से किया जाना चाहिए।	अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना के अनुसार भुगतान/ कार्य पूरा हो चुका है। हालांकि, आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों को मुआवजे का भुगतान राज्य सरकार के पास जमा किया गया था जो कि कलेक्ट्रेट के पास लंबित है।
ii.	भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए मुआवज़ा 15% से बढ़ा कर 30% कर दिया गया है ।	शर्त का अनुपालन किया जा चुका है।
iii.	3256 हे. गंभीर डीग्रेडेड भूमि और अति गंभीर डीग्रेडेड भूमि का जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के प्रस्ताव के अनुसार चार वर्षों में सम्पूर्ण होना है।	कार्य पूर्ण हो चुका है।
iv.	औषधीय पौधों का संरक्षण राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगरानी समिति के साथ परामर्श करके ही प्रस्ताव के अनुसार किया जाना है।	कार्य पूर्ण हो चुका है।
v.	परिवेश क्षेत्र गुणवत्ता, शोर के स्तर पर और भूमिगत जल की गुणवत्ता, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और सतह के पानी की कॉलिफोर्म गणना के बुनियादी डाटा की समय-समय पर निगरानी और रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए ।	शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।
vi.	सूखे मौसम के दौरान बांध के तुरंत नीचे की ओर पूल में पानी की न्यूनतम प्रवाह 6 क्यूसेक होना चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।

भाग ख : सामान्य शर्तें

क्र. स.	सामान्य शर्तें	अनुपालन की स्थिति
i.	निर्माण-कार्य में लगे श्रमिकों के लिए परियोजना लागत पर पर्याप्त निशुल्क ईंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वृक्षों की अवैध कटाई को रोका जा सके।	शर्त का अनुपालन किया जा चुका है।
ii.	ईंधन (मिट्टी का तेल/एलपीजी) मुहैया करने के लिए कार्यस्थल पर ईंधन डिपो खोला जाए। श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं भी मुहैया की जानी चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जा चुका है।

iii.	निर्माण कार्यों के लिए लगाए जाने वाले सभी मजदूरों को अच्छी तरह से स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जांच की जाए और परमिट काम जारी करने से पहले पर्याप्त रूप से उनका इलाज किया जाना चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जा चुका है।
iv.	खुदाई सामग्री की डंपिंग साइट सहित निर्माण क्षेत्र की बहाली को समतलीकरण, गड्ढों को भरने, लैंड स्केपिंग आदि से ठीक करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्षेत्र को उपयुक्त तरीके से तथा उचित बागवानी के साथ उपचार किया जाना चाहिए।	कार्य समाप्त हो चुका है।
v.	ऊपर सुझाए गए उपायों को कार्यान्वित करने के लिए परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जा चुका है।
vi.	सुझाए गए रक्षोपायों के कारगर कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए वनविद्या, पारिस्थितिकी, वन्य जीव, मृदा संरक्षण की विभिन्न विधाओं और गैर-सरकारी संगठन आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक बहुविधा समिति गठित की जानी चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जा चुका है।
vii.	छमाही मानीटरिंग रिपोर्टें समीक्षा के लिए मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जा रहा है। छमाही प्रगति रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उसके एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को निरंतर भेजी जा रही है।

नोट: यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को संबंधित अवधि के लिए भेजे गए अंग्रेजी के रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। भावार्थ में कहीं भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी रिपोर्ट के अर्थ को ही अंतिम माना जाए।